SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Your ruling will also be debated in other Assemblies then.

MR. SPEAKER: There are guarantees given by the rules and by the Constitution. In the case of Punjab, the House had already adjourned and the police came after the adjournment of the House. Everybody knows it. In the case of West Bengal, the Speaker adjourned the House and there was no date fixed. There was nothing on the merits of that case. That was about the adjournment of that House. Anyway, I did not question it.

I am not very happy at the precedents. I said, I was not very happy. If something wrong was set, that should not continue for all the time. This is what I told them. I may be very much distressed. I told them yesterday, "Let me discuss this matter in the Conference of Presiding Officers; that is the proper forum and I would lay this case fully from your point of view."

SHRI S. M. BANERJEE: That is in December.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: It will be helpful if you know the views of Members. If you allow a discussion here, it will strengthen your hands when you discuss this matter in the Presiding Officers' Conference. You can convey our feelings there.

MR. SPEAKER: I do not want something to be coming out of me in my experience, that I should also give a ruling on everything that is going on.

After that they said that they wanted to discuss it. I said, "No, not in that shape in which you want to discuss it, namely, what the Speaker did, what the Members did and what are their privileges. You put in a general motion in any form about anything outside the Legislature and I have no objection if it is admissible on merits." They did not come out with that. I conveyed it to the Secretary, Lok Sabha, "Please convey it to Shri Banerjee that in this shape I do not accept it."

SHRI S. M. BANERJEE: Read my motion. I have given a motion under 193..... (*Interruption*).

MR. SPEAKER: If there is anything concerning the general administration and if it is admissible on its merits, I have no objection to it. You can come with any other thing. I am not very happy with what happened inside the Legislature. I unequivocally say that I am not happy with what happened inside but we have no power to discuss this.

I can give you that privilege to come with a Calling Attention notice on why the police entered the Legislature and let the Minister make a statement. But if you ask me to allow you to discuss this, tomorrow it may be the Madras Legislature and the day after some other Legislature. Then, they will also start discussing our conduct in Parliament in their own Legislatures. There will be no end to it. I am very sorry I cannot allow it.

The House now stands adjourned for lunch.

13.21 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty three minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री राम धन (लाल गंज) : सभापति महोदय कल मैं कह रहा था कि स्वतंत्र पार्टी के श्री अमीन ने यह कहा था कि जो उपक्रम हुए हैं या विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके लिए डा० जोशी उत्तरदायी

नहीं थ । लेकिन मैं समिति के प्रतिवेदन में से आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार विश्वविद्यालय के विधान में वह इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार थे ।

पृष्ठ 73 पर लिखा हुआ है :

"It would have been better if the Vice-Chancellor had delegated to the Chief Proctor some relevant powers which would have enabled the Chief Proctor to maintain discipline in the campus more effectively. This view receives considerable corroboration from the statement made by the University that the concentration of disciplines powers in the Vice-Chancellor alone has led to the slackening of administrative control."

आगे उन्होंने कहा है :

"Failure to frame the relevant rules as required by sub-clause (5) appears to us to be a serious omission on the part of the Vice Chancellor.".

यनिवर्सिटी के विधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि उपकुलपति महोदय को जो अधिकार दिये गए हैं अपने उन अधिकारों को वह डेलीगेट कर सकते हैं चाहे प्राक्टर को या प्रिंसिपल्ज को और डीन्ज को । लेकिन आप देखेंगे कि जब ये घटनाये घटी उस समय वाइस-चांसलर महोदय आस्ट्रेलिया में कामनवैल्थ कान्फ्रैंस में गए हुए थे । उन्होंने अपने यह अधिकार प्राक्टर को डैलीगेट नहीं किये या किसी दूसरे अधिकारी को डैलीगेट नहीं किये ताकि यह अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई की जा सके । आप देखें कि वाइस-चांसलर किस प्रकार से उत्तरदायी थे ।

प्रोफेसर अमीन और श्री गोयल ने वाइस-चांसलर की स्तुति की है । जिस प्रकार भगवान की स्तुति की जाती है उसी प्रकार श्री गोयल ने डा० अमर चन्द जोशी की स्तुति की है । लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें जिन घटनाओं की चर्चा अपने प्रतिवेदन में की है उन सबके लिए उसने डा० अमर चन्द जोशी को जिम्मेदार ठहराया है । देखना यह है कि यह प्रतिवेदन और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का बयान संसद् के दोनों सदनों में जब हुआ तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार का व्यवहार किया और किस प्रकार की धमकियां दीं । मैं सात अगस्त के "नवभारत टाइम्स" से उद्धरण देना चाहता हूं । इसमें लिखा है :

बनारस, 6 अगस्त । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बाहर कल कुछ छात्रों ने श्री गजेन्द्र गडकर के पुतले को जलाया । ये छात्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय विद्यार्थी परिषद् के थे । इन छात्रों ने केन्द्रीय सरकार को चेतावनी दी कि अगर गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशें लागू की गईं तो खून खराबा हो जाएगा। एक छात्र ने तो यहां तक कहा कि मुझ में मंत्रियों को गोली मारने का साहस है । खुफिया विभाग के लोग इस बात को नोट कर लें । एक अन्य छात्र ने कहा कि अगर आर० एस० एस० के भवन को गिराया गया तो हम खून बहा देंगे । एक तीसरे छात्र ने कहा कि दक्षिण के लोग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से जिसकी स्थापना उत्तर में हुई है जलते हैं । ये छात्र एक सभा में बोल रहे थे । सभा ने एक प्रस्ताव पास कर मांग की कि गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों पर मत संग्रह किया जाए । एक वक्ता ने डा० जो

[श्री राम धन]

के खिलाफ कार्रवाई को अनुचित बताया । उन्होंने कहा कि डा० जोशी पंडित मदन मोहन मालवीय के अवतार हैं ।

इस प्रकार के विचार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनके नेताओं और भारतीय जन संघ के नेताओं के हैं । इसी वजह से सदन में श्री श्रीचन्द गोयल ने अपने उस विचार का यहां प्रदर्शन किया है और अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया है ।

आप देखेंगे कि गजेन्द्र गडकर समिति ने किस प्रकार से विश्वविद्यालय में फैली हुई अव्यवस्था के लिए आर० एस० एस० और जातिवाद को जिम्मेदार ठहराया है । पृष्ठ 91 में यह दिया गया है कि एक नान-हिन्दी स्पीकिंग एरिया का छात्र, जो बहुत प्रतिभावान था, समिति के सामने बयान देने के लिए गया तो उसने क्या कहा । उसने कहा :

"He comes from a non-Hindi area and has very good academic record. He told us that he was not interested in politics and the pursuit of his studies was his sole objective. He had secured 78 per cent marks last year in honours course and stood second. He then added that he had found in his faculty at least Singhism' and RSSism' and that favouritism is shown to 'Singhs' who belong to Thakur community and those who belong to RSS.".

आप देखें कि अगर आर० एस० एस० के लोग किस प्रकार से विश्वविद्यालय के शान्तिमय जीवन को खराब कर रहे हैं ।

कहा जाता है कि आर० एस० एस० के सदस्य जिस भवन में अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं वह भवन महामना मालवीय जी ने आर०एस०एस को दिया था । उस के बारे में कल माननीय श्री झारखण्डे राय ने बताया—वह भी उस विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं । कि किस प्रकार से यह गलतफहमी पैदा की जा रही है । मैं बताना चाहता हूं कि आर० एस० एस० ने किन्हीं कारणों से उस भवन का उपयोग किया होगा, लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी—मैं उस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र था – उस समय वहां के छात्रों ने एक आन्दोलन किया जिस का नतीजा यह हुआ कि बरसों तक उस भवन का उपयोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के छात्र नहीं कर पाये । बाद में उपकुलपतियों की ढुलमुल नीति के कारण वे लोग उस को इस्तेमाल कर रहे हैं ।

काशी विश्वविद्यालय की परम्परा एक राष्ट्रीय परम्परा रही है । वहां साम्प्रदायिक लोग अपना सिर नहीं उठा पाते थे । लेकिन इधर जब से साम्प्रदायिक पार्टियों और शक्तियों ने देश में कुछ बल पकड़ा है, तब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हिन्दू विश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित कर रहे हैं ।

काशी विश्वविद्यालय में जितनी भी घटनायें हुई हैं, जिन का जिक्र समिति ने किया है, उन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थकों का बड़ा हाथ रहा है । डा० अमरचन्द जोशी ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है । वहां पर दीक्षान्त समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था । दो तीन छात्रायें वहां से पहले उठ कर चली गईं । आर० एस० एस० के समर्थकों ने उन को रास्ते में घेर कर उन का शील-भंग किया ।

श्री हकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : यह गलत कह रहे हैं । इन के समर्थकों ने ऐसा किया होगा । . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री राम धन : जो लोग भारतीय संस्कृति का दम भरते हैं, उन्हों ने इस तरह के लज्जाजनक

काम किये हैं। और इस प्रकार भारतीय नारी को अपमानित किया।

इस घटना के सम्बन्ध में नरसिंह बहादुर, रामजस सिंह और ए० एन० राय नाम के जो तीन लड़के दोषी पाये गये, उन के खिलाफ डा०अमर चन्द जोशी ने क्या कार्यवाही की। मजुमदार, सिन्हा और दूसरे छात्रों के गुट को दबाने के लिये वह आर० एस० एस० समर्थक छात्रों को बढ़ावा देना चाहते थे। पहले तो इन तीनों छात्रों को यह सजा दी गई कि उन्हें परीक्षा में नही बैठने दिया जायेगा और अगली बार उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। लेकिन बाद में उन्हें पुनः प्रवेश दे दिया गया, जिस को समिति ने बिल्कुल अनुचित ठहराया है।

इसी प्रकार की एक घटना बिड़ला छात्रावास में हुई। एक लड़की अपने भाई से मिलने के लिए गई और वहां पर दो छात्रों ने उस के साथ बलात्कार किया।

इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। लेकिन यह कितनी शर्मनाक और लज्जाजनक बात है कि डा० अमरचन्द जोशी ने इन सब घटनाओं के बारे में न कोई जांच की और न कोई ठोस कदम उठाया।

एक लड़के ने ओचा छात्रावास के कमरा नम्बर 72 में चोरी की। उस का नाम था मकबूल। लोगों ने उस को पकड़ा और मारते पीटते चीफ प्रोक्टर के पास ले गये। जब ये लोग वहां से लौटे, तो किसी ने बताया कि वह लड़का मुसलमान है। इस पर आर० एस० एस० के छात्रों ने उस चोर को पुनः पकड़ लिया और उस को इतना मारा कि अस्पताल में जा कर उस की मृत्य हो गई।

हमारा देश संसार का सब से बड़ा प्रजातंत्र है। यदि कोई व्यक्ति चोरी कत्ल या कोई अन्य अपराध करता है तो कानून के अधीन उस के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिए।

इस से भी दुखदायी बात यह है कि एक ओर न तो स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले की कोई इन्वेस्टीगेशन की और न ही वाइस-चांसलर ने कोई दिलचस्पी ली और दूसरी ओर जिस छात्र ने उस लड़के का कत्ल किया था, उस को रिसर्च आफिसर का पद दे दिया गया। समिति ने बताया है कि किस प्रकार से कम समय में नोटिस बोर्ड पर सूचना दे कर, गलत तरीके से उस की नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं डा० जोशी ने समझा कि उस के लिए इतना पुरस्कार कुछ कम है और उन्होंने उस व्यक्ति को एसिस्टेंट प्राक्टर बना दिया।

इन सब घटनाओं के बारे में समिति ने डा० अमरचन्द जोशी को जिम्मेदार ठहराया है। मजुमदार और सिन्हा आदि छात्रों को जो निकाला गया, जिसकी वजह से सब खुराफ़ात हुई, समिति ने उस को भी न्यायिक नहीं माना है और कानूनी तौर पर उस को अनुचित ठहराया है। कल माननीय सदस्य, श्री साल्वे ने बताया कि डा० जोशी ने "विभाजन करो और शासन करो" की नीति अपनाई हुई थी, जिस के आधार पर उन्होंने छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों में दो-दो गिरोह बना दिये।

डा० जोशी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के सामने कितने ही अड़ंगे लगाये, ताकि यह समिति न बन पाये। उन को यह आशंका और भय था कि अगर यह समिति बनेगी, तो उन के काले कारनामों का भंडाफोड़ होगा और उन के लिए वह जिम्मेदार ठहराये जायेंगे। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार मुदालियार समिति का प्रतिवेदन आने के बाद एक रीव्यूइंग कमेटी बनाई गई थी, जिस ने सब दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की और उन्हें दण्डित किया, उसी प्रकार इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही करने के लिए एक

[श्री राम धन]

रि०यूइंग कमेटी बनाई जाये, जो इन सब बातों को देखे। जिन लोगों ने ये सारे अपराध किये हैं, उन्हें अवश्य दण्ड मिलना चाहिए ।

मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि काशी विश्वविद्यालय में जातिवाद को खत्म करने के लिये यह जरूरी है कि उस की सब प्रबन्ध समितियां सैकुलर आधार पर बनाई जायें। उस विश्वविद्यालय का नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी होने के नाते, इस "हिन्दू" शब्द के नाम पर वहां सैकुलर विचार-धारा का जन्म नहीं होने दिया गया। अभी तक वहां पर सब समितियों में लोगों को जाति के आधार पर रखा जाता है। तो मैं यह चाहूंगा कि जो समितियां बनाई जायें और जो आगे भी इस का विधान बनाया जायेगा वह सैकुलर आधार पर हो और उस में जो वर्तमान लोग थे जैसे पुरानी समितियों में जो वर्तमान लोग थे उन्हें मौका न दिया जाय ।

एक चीज आई० आई० टी० के बारे में कहना चाहता हूं कि आई० आई० टी० जो है जिस की स्थापना ए जीक्यूटिव कौंसिल और शिक्षा मंत्रालय की राय से की गई, वाइस चांसलर पहले तो उस से सहमत थे लेकिन बाद में देखिए उन की कथनी और करनी में कितना भेद होता है, कि वह उस से मुकर गए और वह उस को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं किया, उन्होंने एक बयान दिया जो असत्य था। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बारे में कहा कि उन्होंने राय दी थी कि आई० आई० टी० को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें कि शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी ने जब यह पत्र लिखा कि इस प्रकार की कोई बात शिक्षा मंत्री ने नहीं कही थी तो वह निरुत्तर हो गए मेरी राय में इस संस्था को यथावत कायमत रहने दिया जाय। मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यह सारी चीजें जो हैं इन को इस तरह देखें कि जो वहां सैकुलरिज्म कायम होना चाहिए और वहां पर और दूसरे सम्प्रदायों के लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं वहां का प्राचीन विद्यार्थी रहा हूं । प्रातः स्मरणीय महामना मालवीय जी ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों को वहां सुविधायें दी थीं इस केन्द्रीय सरकार ने उसे अब खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं महामना मालवीय जी ने दी थी उन्हें पुनः चालू किया जाय और वहां पर प्रबन्ध समितियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों का भी प्रतिनिधि होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्यनारायण सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, जो विश्वविद्यालय के बारे में बिल आया है इसे मैं समझता हूं कि अधूरा सा है फिर भी जिस तरह का बिल है उन कमियों के बावजूद भी मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कुछ बातों की ओर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। जब इस तरह की कमेटी बैठाई जाती है तो उस का मकसद यह होता है कि तथ्यों का ठीक से पता लगाना और फिर उस के मुताबिक अमल करने की कोशिश करना । इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसी घटनायें जब विश्वविद्यालय में होने लगीं और वहां की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई तो गजेन्द्र गडकर जी की। अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया कमेटी ने बहुत ही श्रम के साथ तथ्यों को गहराई में जा कर जानने की कोशिश की और अपनी रिपोर्ट में उस पर प्रकाश डाला है। कौन सी ऐसी घटनायें थीं जिन के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है वह रिपोर्ट के अन्दर साफ-साफ लिखी गई हैं । आप जानते हैं कि इस बात को कि रिपोर्ट में पहले यह बात कही गई और रिपोर्ट पर मैं चाहता था कि बहस की जानी चाहिए, जो सुझाव दिए गए हैं कमेटी की तरफ से उस पर पूर्णरूप से अमल करने की कोशिश की जानी चाहिए और उन सुझावों के ऊपर भी बहस होनी चाहिए थी

ताकि किन सुझावों को लागू किया जा सकता है, किन को नहीं लागू किया जा सकता है उस पर विचार होता । लेकिन रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई है इसलिये तथ्यों पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालना मुश्किल हो जाता है । इस लिए पहले ही शिक्षा मंत्री से हमारी यह अपील है कि उस रिपोर्ट के आधार पर कोई ऐसा बिल वह ले आएं जिस के द्वारा विश्व-विद्यालय में जो खामियां हैं, असंतोष के जो कारण हैं और समय समय पर जो असंतोष उभड़ते रहते हैं उन को हल करने की दिशा पकड़ी जा सके ।

आप जानते हैं कि कमेटी को यह चीज जाने के पहले विश्वविद्यालय की कौन-कौन सी समस्यायें ऐसी थीं जिन के बारे में पूरे राष्ट्र का और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित था । पहली घटना थी मकबूल की हत्या की घटना । दूसरी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का प्रश्न और तीसरी मजूमदार नरेन्द्र सिन्हा आदि के निष्कासन का सवाल और दामोदर के हार जाने के बाद भी उस को नरेन्द्र सिन्हा को हटा कर उसकी जगह बिठाने का प्रयत्न, आर० एस०एस० की बिल्डिंग का यूनिवर्सिटी कैम्पस में होना और दूसरे संगठनों को अपने संगठन के लिए इजाजत न देना । इस के अलावा यूनिवर्सिटी के अन्दर जो अप्वाइंटमेंट्स किए जाते थे वे अपने दल को, अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए । मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जाती थीं और पदोन्नतियां दी जाती थीं । यह सब ऐसी घटनाएं थी जिन की वजह से विश्वविद्यालय के अन्दर असन्तोष की सृष्टि हुई । कमेटी ने इन इन घटनाओं के बारे में, एक-एक के बारे में बयान लिया है और कहा है कि मकबूल की हत्या के सवाल को ले कर इस घटना ने हमारे दिमाग को सब से ज्यादा विह्वल किया है, परेशानी में डाल दिया है । दूसरी बात—वह साफ कहते हैं कि नरेन्द्र सिन्हा, मजूमदार और रवि शंकर को इस कारण से निकाला गया ताकि जो लोग विशाल बहुमत से जीत कर आये थे, यूनियन के प्रेसीडेंट बने थे उन को हटाया जाए और उनकी जगह पर हारे हुए को प्रेसीडेंट बनाया जाय, दामोदर को उस की जगह बैठाया जाय । इसी तरह लड़कियों के साथ जो अभद्रता की गई थी उन के साथ अभद्रता करने वालों के साथ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । यह ऐसी घटनाएं थीं जिन को ले कर वहां पर काम करने वाले प्रोफेसर, वहां के विद्यार्थी और वहां की जनता सब के अन्दर असन्तोष बढ़ा । लोगों में यह धारणा पैदा हुई कि क्या हम अपनी लड़कियों को विश्वविद्यालय के अन्दर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं ।

दूसरी बात चुनाव के अन्दर एलान किया गया तो देश के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी, हर प्रान्त से आने वाले विद्यार्थियों ने नरेन्द्र सिन्हा को चुना । विशाल बहुमत से वह जीत कर आए । उस के जीत जाने के बाद उस को उस पद से हटाने और हारे हुए को फिर से बिठाने की साजिश अमरचंद जोशी ने की और उसी का परिणाम था कि इन लड़कों को निष्कासित किया गया । रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि यह घटनाएं थी जो कि असंतोष का मूल कारण बनीं और पूरे विश्व-विद्यालय का वातावरण विषाक्त हो गया । एक-एक घटना को आप देखें कि जिस आदमी ने मकबूल की हत्या की उस को बाद में रिसर्च स्कालर 300 रुपये महीने पर नियुक्त कर दिया । यह था उन का दृष्टिकोण । जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहां के लाइब्रेरियन के खिलाफ बड़े-बड़े डाक्यूमेंट राष्ट्रपति को लिखे गए, शिक्षा मंत्री को लिखे गए और उन की कहानी मैं आप को सुनाऊं कि जो लाइब्रेरियन हैं उन्होंने गलत डिग्री दाखिल कर के वहां पर स्थान प्राप्त किया । इन्हीं जोशी की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, उस कमेटी ने लिखा है विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कि जो सजा दी धोखा देने और चार सौ बीस करने के अपराध में वह सजा कम है । इस से बड़ी कड़ी सजा उस को मिलनी चाहिए । लेकिन सभापति

[श्री सत्य नारायण सिंह]

महोदय, वह आदमी आज भी लाइब्रेरियन के उसी पद पर बैठा हुआ है । उस के खिलाफ कोई उस को हटाने की कोशिश नहीं की गई । यह है उन लोगों की करनी । जिस लड़की के साथ में होस्टल में बलात्कार किया गया उस की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की एक कोर्ट बनाई गई और वह सेन साहिब की देखरेख में बनाई गई थी । यह मामला उस को सौंपा गया । उस ने फैसला किया । फैसले से पहले पर्चे बांटे गए और जजेज को धमकियां दी गई कि कोई फैसला हमारे खिलाफ होगा तो उस का बदला लिया जायगा और जो लड़के कोर्ट के जज थे उन को पीटा गया । उन्होंने हिम्मत की और उन का फैसला आया । फैसला हो जाने के बाद उन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी से निकालने की बात हुई लेकिन जोशी जी ने उन सब को पुनः यूनिवर्सिटी में भर्ती करने के लिए अवसर दिया और उन को पुनः स्थान वहां दिलाया । इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी के अन्दर जो विषाक्त वातावरण पैदा हुआ उस के लिए जोशी जिम्मेदार थे । मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट में जो अपराधी साबित हो गए हैं, जांच पड़ताल के बाद जो अपराधी सामने आ गए हैं उन को वहां यूनिवर्सिटी में ज्यों का त्यों कायम रखते हुए आप कैसे सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी का वातावरण शांत होगा ?

दूसरी बात रिपोर्ट के अन्दर कही गई कि जिन विद्यार्थियों को नरेन्द्र सिन्हा आदि को निष्कासित किया गया उन को गलत ढंग से निष्कासित किया गया उस गलत आदमी को प्रेसीडेंट के स्थान पर बैठाने के लिए तो क्या उन विद्यार्थियों को आज पुनः यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की अनुमति शिक्षा मंत्री महोदय देने के लिए कोई फैसला लाए हैं या नहीं क्यों कि हम जानते हैं कि पूरे स्टूडेंट्स में, हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आए हुए जिन लोगों ने सिन्हा को चुना था, विशाल बहुमत से चुना था, आज कमेटी का फैसला आ जाने के बाद उन को फिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या विद्यार्थियों में असंतोष इस से व्याप्त होगा या नहीं ? जितने कारण रिपोर्ट के अन्दर आए हैं उन को दूर किये बिना उन के ऊपर कोई कार्यवाही किए बिना यूनिवर्सिटी को आप खोलने जा रहे हैं । इस से शांति होगी? हमारे साथी राम धन ने एक बात अभी कही कि आज धमकी दी जाती है शिक्षा मंत्री को खत्म कर दिया जायेगा, गजेन्द्र गड़कर के पुतले जलाए जा रहे हैं, तरह-तरह की धमकियां दी जाती हैं, तो ऐसे तत्व जो आज धमकियां दे रहे हैं, उन के रहते हुए, उन को कायम रखते हुए क्या यूनिवर्सिटी के वातावरण में शांति कायम हो सकती है? मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को इस में डरने की कोई बात नहीं है । धमकियों में आने की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे अपराधियों, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये और यूनिवर्सिटी के वातावरण को शान्त करने के लिये, वहां के विषाक्त वातावरण को ठीक करने के लिये आप कदम उठायें ।

दूसरी बात मुझे आप से यह कहनी है कि आप वहां पर ऐसे वाइस-चांसलर को भेजें जो यूनीवर्सिटी की गुटबन्धियों से ऊपर हो, कमेटी में भी ऐसे ही आदमियों को रखा जाय जो जाति-पांति और दूसरी तरह की गुटबन्दियों से ऊपर उठ कर काम करें, जो उस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाये रखने के लिये, शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिये, स्वस्थ वातावरण बनाये रखने के लिये काम करें; इस तरह का फैसला आप को लेना चाहिये । किसी किस्म का किसी पर दबाव नहीं होना चाहिये तथा निकाले गये विद्यार्थियों को पुनः कमेटी के फैसले के बाद यूनीवर्सिटी में प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : चेयरमैन साहब, मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं—कोई बीमारी होती है, तो सरकार फौरन-से-पेश्तर जूडीशल कमेटी बना देती है और जडीशल कमेटी बैठती है, तो लोग इस में गवाही देने के लिये नहीं जाते हैं । गजेन्द्र गड़कर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गवाही देने के लिए बहुत से लोग नहीं आये, थोड़ी बहुत गवाहियां हुई । वास्तव में ऐसी कमेटी बिठानी चाहिये थी, इस तरह का कमीशन बैठाया जाना चाहिये था, जो दुनिया को जानता हो, शिक्षा की बातों को जानता हो, लोगों से मिलकर यूनीवर्सिटी की स्थिति का अध्ययन करता, वेष बदल कर विद्यार्थियों से मिलता, प्रोफेसरों से मिलता, शिक्षकों से मिलता, तब सही बात का पता चलता । इन की रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो लोग गवाही देने जाते थे उन के खिलाफ वातावरण तैयार किया जाता था । कि वे गवाही देने न जायं । बहुत से लोग डर के मारे गवाही देने नहीं गये । जो भी गवाहियां इस में हुई हैं, उन से अन्दाजा लगता है कि बहुत से लोग गवाहियां देने नहीं गये । इस लिये सरकार का कर्त्तव्य था कि इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद सब बातों का पूरी तरह से पता लगाती । आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के बाद बहुत से मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कई दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट "फौर वांट आफ एविडेन्स" मुकद्दमे को फिर नीचे भेज देती है । इस लिये सरकार को भी चाहिये था कि मामलों की पूरी तरह से छानबीन कराती । मैं चाहता हूं कि सरकार इस कार्यवाही को पुनः कराये जब तक ऐसा नहीं होगा, यह रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने यूनीवर्सिटी को बन्द कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थी बेकार घूमते हैं, हंगामा मचा हुआ है । दो चार विद्यार्थियों के गड़बड़ करने से यूनिवर्सिटी बन्द नहीं करनी चाहिये थी । यहां पार्लियामेंट में इधर से उधर से रोज हाथापाई होती है, बहस होती है, तो पार्लियामेंट इस से बन्द नहीं हो जाती है । इस प्रकार गर्मागर्मी से अगर पार्लियामेंट बन्द कर दें, तो सब काम ही बन्द हो जायेगा । अगर शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाय, टेम्प्रेचर साढ़े 99 हो जाय, कहीं पर विद्यार्थी अनजाने में लड़ बैठें, झगड़ जायं तो विद्यार्थियों को माफ करना चाहिये । जब हम लोग नान-कोआपरेशन मूवमेन्ट चलाते थे, 100-100 मील साइकल चलाते थे, बड़ा जोश था, आज बूढ़े हो गये हैं, वह जोश खरोश नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थी नौजवान हैं, कहीं जोश में आ कर झगड़ बैठे, तकरार कर बैठे तो उस से कालिज या यूनीवर्सिटी बन्द नहीं होनी चाहिये । इस से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुक्सान होगा । आपको पता नहीं है, मंत्री महोदय, जिनके मां-बाप खर्च देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पर क्या बीतती है । सरकार का काम है कि विद्यार्थियो को दुरुस्त करे शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करे ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : नहीं । यह मां-बाप की ड्यूटी है

श्री विभूति मिश्र : यह सरकार का काम है कि विद्यार्थियों को ठीक से शिक्षा दे, ठीक से आदमी बनावे, दूसरे किसी का काम नहीं है ।

अब मैं ला एण्ड आर्डर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू गजेन्द्र-गडकर साहब ने ला एण्ड आर्डर के बारे में अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है— उत्तर प्रदेश सरकार एक कमेटी बना कर ला एण्ड आर्डर की जांच कराये । ला एण्ड आर्डर क्यों खराब हुआ, कौन-कौन उस के लिये जवाबदे हैं और उन को क्या सजा दी जानी चाहिये ।

[श्री विभूति मिश्र]

इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि यह यूनीवर्सिटी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की है । मैं पूछना चाहता हूं कि जहां-जहां जो यूनीवर्सिटीज हैं, जैसे बंगाल की यूनीवर्सिटी है या शान्ति निकेतन की यनीवर्सिटी है, क्या उन में आसपास लोगों की अधिकता नहीं है । जहां पर जो यूनीवर्सिटी है, वहां के लोग उस में ज्यादा रहेंगे ही । लेकिन इस यूनीवर्सिटी की स्थिति दूसरी रही है । जब तक आचार्य नरेन्द्र देव या मालवीय जी वहां पर रहे, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ । यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्ति को वहां पर वाइस-चांसलर बनायें.....

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : चुनाव कराइये ।

श्री विभूति मिश्र : वाइस चांसलर बनाते समय आपको सोचना चाहिये कि कैसे व्यक्ति को वाइस चांसलर बना कर भेज । वाइस-चांसलर के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है ।

मंत्री महोदय जो बिल यहां पर लाये हैं, इसमें सब के लिये एप्वाइन्टमेन्ट कर दिया है, चुनाव पद्धति को तोड़ दिया है । चुनाव नहीं होता तो आप जहां चुन कर नहीं आते और जब मेम्बर चुन कर नहीं आते तो मिनिस्टर नहीं बनते । इस लिये जरूरी है कि चुनाव पद्धति को जारी रखिये, अगर चुनाव नहीं रखेंगे तो फिर झगड़ा होगा । चुनाव से आप क्यों घबराते हैं । गांव में कोआपरेटिव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, आज तो दुनिया चुनाव की है ।

जो विद्यार्थी एक्सपेल कर दिये गये हैं, उन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन से अण्डरटेकिंग ले कर.....

श्री मधु लिमये : अण्डरटेकिंग क्यों ? अण्डरटेकिंग नहीं मिलेगी । अंग्रेज भी अण्डरटेकिंग मांगते थे—हम नहीं देंगे ।

श्री विभूति मिश्र : जो विद्यार्थी एक्सपेल हो गये हैं, उन से अण्डरटेकिंग लीजिये, उन को हिदायत कीजिये, वार्निंग दीजिये लेकिन उन का जीवन खराब न कीजिये । ये बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं—इन को ठीक तरह से टैकल कीजिये ।

रीयल झगड़ा वहां पर एक मकान का है । मालवीय जी ने एक मकान वहां पर कल्चरल कामों के लिये दिया था, लेकिन अब झगड़ा यह पड़ गया है—जनसंघ कहता है कि यह उन का मकान है और ये लोग कहते हैं कि उनका मकान नहीं है । सरकार को चाहिये कि इस की छानबीन करे, और यह मालूम करे कि उस का मालिक कौन है । वहां पर एक मन्दिर भी है—झगड़ा यह है कि उस मन्दिर का रास्ता कैसे बनाया जाए, ताकि लोग यूनीवर्सिटी से होकर वहां न जायं । मालवीय जी ने जब इस यूनीवर्सिटी को बनाया था, तब लोगों ने इस के लिये दान दिया था, मन्दिर को हटाना वहां से मुश्किल है । इस लिये आपको चाहिये कि उस मन्दिर को वहां से न हटावें वह अपने स्थान पर बना रहे और उस का काम भी चलता रहे ।

एक बात मुझे मकबूल रिजवी के बारे में कहनी है —उन की हत्या की छान बीन होनी चाहिये—यह हत्या कैसे हुई ? इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को वहां से हटा दिया जाय । मेरा आप से अनुरोध है कि जो संस्थाएं वहां पर हैं, उन को नहीं हटाना चाहिये, उन को वहां पर रखना चाहिये, लेकिन उन के ऊपर निगरानी रखनी चाहिये ।

वहां पर डिसीप्लन कैसे रखा जाय—इसके लिये चुनाव की पद्धति को कायम किया

जाय । मैंने इस सम्बन्ध में अपनी एक अमेण्डमेन्ट भी दी है कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पूरी निगरानी होनी चाहिये । आपने इस में राष्ट्रपति को विजिटर बना दिया है, उन का इस से कोई मतलब नहीं है । इस में जवाब देही राष्ट्रपति के बजाय मिनिस्टर की होनी चाहिये ऐजुकेशन मिनिस्टर की होनी चाहिये, जो यूनीवर्सिटी के प्रशासन को देखे, उस के डिसिप्लन के काम को देखे । यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम देखे और डिसिप्लिन का काम देखे ।

दूसरी बात यह है कि जो वाइस चांसलर हो वह लोकल आदमी होना चाहिए । जो लोग बाहर से आते हैं वह हिन्दी समझते नहीं है ।

सभापति महोदय : आप कल कन्टीन्यू कीजियेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं खत्म कर रहा हूं । तो मैं यह कह रहा था कि वाइस चांसलर वहां का स्थानीय आदमी होना चाहिए जैसे कि श्री मदन मोहन मालवीय और आचार्य नरेन्द्र देव रह चुके हैं जो कि हिन्दी एरिया के थे । नान-हिन्दी एरिया से जो आते हैं वे हिन्दी जानते नहीं, वे विद्यार्थियों से मिलते जुलते नहीं हैं ।

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. Rao): Was Dr. Radhakrishnan a bad Vice-Chancellor?

सभापति महोदय : आप कल कन्टीन्यू कीजियेगा ।

सभापति महोदय : आचार्य नरेन्द्र देव एक कमरे में रहते थे । तो सरकार इन बातों पर ध्यान दे ।

सभापति महोदय : आप कल जारी रखियेगा ।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-THIRD REPORT

SHRI BHALJIBHAI PARMAR: (Dohad): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 26th August, 1969."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 26th August, 1969."

The motion was adopted.

---

15 hrs.

RESOLUTION RE: NATIONALISATION OF FOREIGN TRADE(GENERAL INSURANCE ETC.—*Contd.*

सभापति महोदय : अब श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का जो प्रस्ताव है उसको लिया जायेगा । लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है कि इसके लिए दो घंटा समय था.....

श्री मधु लिमये: (मुंगेर) : यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

सभापति महोदय : इसके लिए दो घंटा समय था लेकिन इस पर दो घंटे 49 मिनट आलरेडी हो चुके हैं । अभी एस०एस० पी० और पी० एस० पी० दलों की ओर से इस पर कोई नहीं बोला है ।

श्री मधु लिमये : इस पर पार्टीज को नहीं बल्कि सभी को मौका दीजिए ।

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर)